55/15

1130/07

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

RUPEES 25000 रुपये

RS. TWENTY FIVE THOUSAND

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

263780

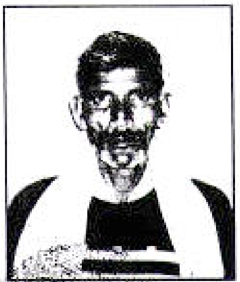

JAN

A.T.O/T.O.
TRY.LK

## लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | भूमि का प्रकार | : | कृषि |
| 2. | परगना | : | बिजनौर |
| 3. | ग्राम | : | हसनपुर खेवली |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) | : | भूमि खसरा संख्या- 197, 315 |
| 5. | मापन की इकाई | : | हेक्टेअर |
| 6. | विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : | 0.171 हेक्टेअर |
| 7. | सम्पत्ति का प्रकार | : | कृषि |
| 8. | पेड़ों का मूल्यांकन | : | नहीं |
| 9. | बोरिंग/कुआ/अन्य | : | नहीं |
| 10. | प्रतिफल की धनराशि | : | रू0 4,05,270/- |
| 11. | मालियत | : | रू0 2,35,125/- |
| 12. | स्टाम्प | : | रू0 40,600/- |

(निशान अंगूठा ... अशफीलाल)

क्रान्ति कुमार

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक ....................

मूल्य .................... जनरल स्टाम्प

नाम ....................

द्वारा ....................

सहा० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 308812



चौहद्दी

*खसरा न0 197*

| | |
|---|---|
| पूरब | : खसरा संख्या–195 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या–198 |
| उत्तर | : खसरा संख्या–199 |
| दक्षिण | : खसरा संख्या–198 |

*खसरा न0 315*

| | |
|---|---|
| पूरब | : खसरा संख्या–311, 314 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या–317, 272 |
| उत्तर | : खसरा संख्या–316, 311 |
| दक्षिण | : खसरा संख्या–272 |

कान्ति कुमारी

(नि.अ. अशर्फीलाल)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 308813



प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

| विक्रेता का विवरण | : | क्रेता का विवरण |
|---|---|---|
| अशर्फी लाल पुत्र घासू निवासी –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।<br><br>व्यवसाय – कृषि | : | क्रान्ती कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी–ग्राम रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ।<br><br>व्यवसाय – कृषि |

(नि॰ अ॰ अशर्फीलाल)

क्रान्ति कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 261748

29 JAN 2007



## विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख **अशर्फी लाल पुत्र घासू निवासी –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ** जिन्हे आगे **विक्रेता** कहा गया है, एवम् **क्रान्ती कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद रावत निवासी–ग्राम रतियामऊ, गोसाईगंज, लखनऊ** जिन्हें आगे **क्रेता** कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या– 197 रकबा 0.310 हेक्टेअर, खसरा संख्या 315 रकबा 0.032 हेक्टेअर, इस प्रकार

(नि० अ० अशर्फीलाल)

क्रान्ति कुमार

500 RS.

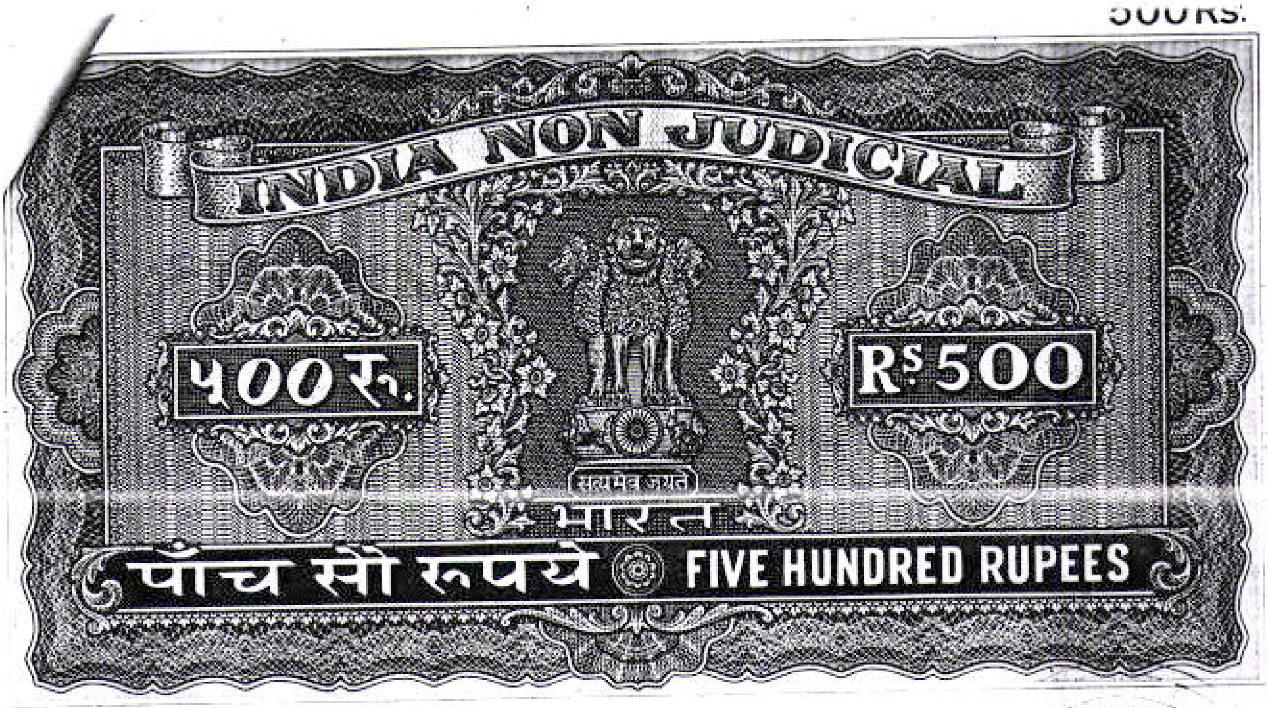




कुल दो किता व कुल रकबा 0.342 हेक्टेअर का 1/2 भाग अर्थात 0.171 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 0007 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के

(नि० अ० अशर्फीलाल)

कान्ति कुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 222991

2 FEB 2007

A.T.O/T.O. TRY LKO.



मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण

करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएवंउपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 **4,05,270/-** (रूपया चार लाख पाँच हजार दो सौ सत्तर मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वाामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या

(नि॰ अ॰ अशर्फीलाल)

कान्ति कुमार

स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.171 हेक्टेअर की मालियत रू0 2,35,125/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 40,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़,

निशान अंगूठा (अशर्फीलाल)

कान्ति कुमारी

कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

**परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण**

खसरा संख्या–197 रकबा 0.310 हेक्टेअर, खसरा संख्या–315 रकबा 0.032 हेक्टेअर, इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा 0.342 हेक्टेअर का 1/2 भाग अर्थात 0.171 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ,।

**परिशिष्ट : भुगतान विवरण**

1. विक्रेता को रू0 4,05,270/– (रुपया चार लाख पाँच हजार दो सौ सत्तर मात्र) द्वारा चेक संख्या–059159

(नि0 अ0 अशर्फीलाल)

क्रान्ति कुमार

दिनांकित 03.02.2007 बैंक आफ इण्डिया, शाखा कुर्सी रोड टेढ़ी पुलिया, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 4,05,270/– (रूपया चार लाख पाँच हजार दो सौ सत्तर मात्र) विक्रेता ने क्रेता प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रता स्वीकार करता है।

लखनऊ
दिनांक: 03.02.2007

**गवाह** (क्रेता की पहचान की)

1. बी. आर. शर्मा
S/o P. आर. शर्मा
18 मदन मोहन मालवीय मार्ग
लखनऊ

2. नन्हे S/o राम भावा
हसनपुर लखनऊ

(नि अ नन्हे)

(नि अ अशर्फीलाल)

विक्रेता

क्रेता कान्तिकुमारी

टाईपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अन्ज़र हुसैन)
एडवोकेट

## रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

## फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- अशर्फी लाल [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

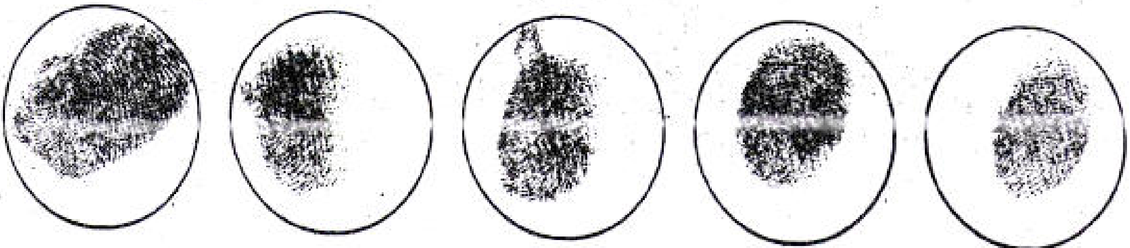

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

(अशर्फी लाल)

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

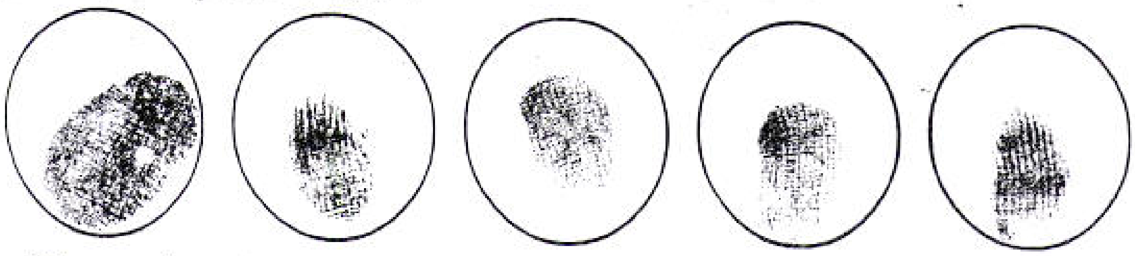

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

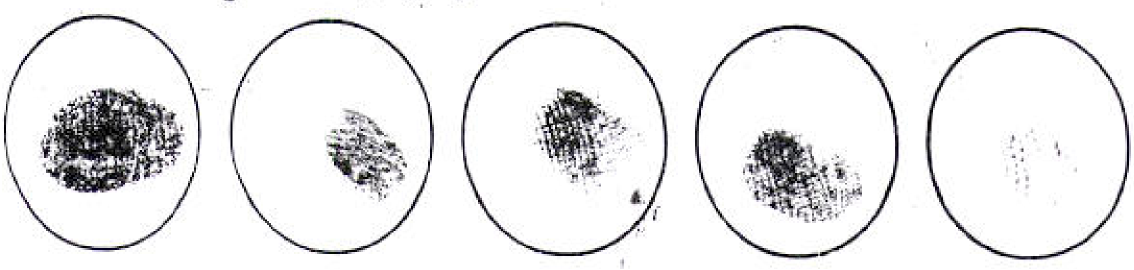

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

# नक्शा नजरी

ग्राम : हसनपुर खेवली

खसरा संख्या– 197, 315

विक्रेता : अशर्फीलाल पु प्यारे

क्रेता : कान्ति कुमार रावत पुत्र श्री लक्ष्मी कुमार रावत

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

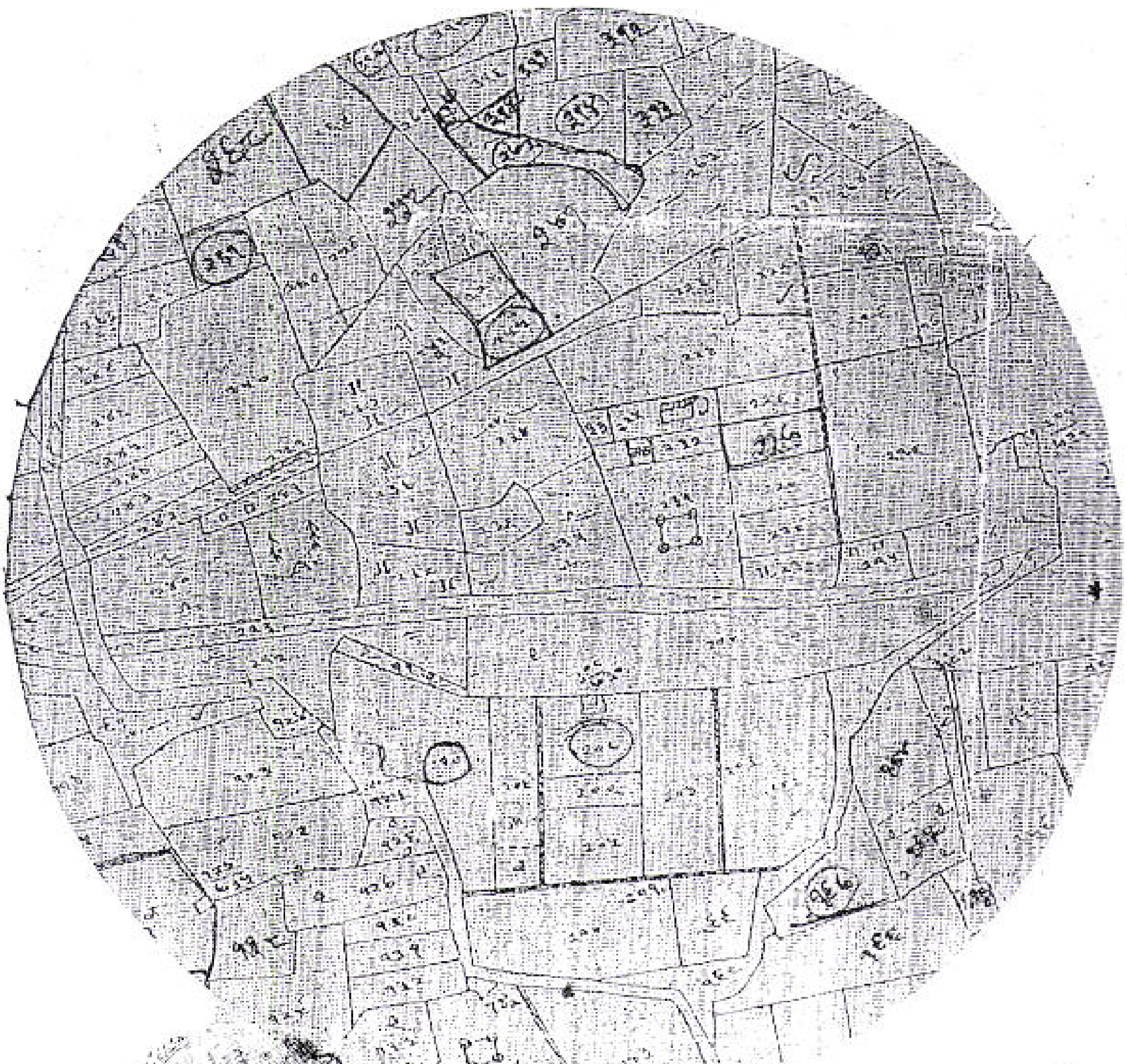

कान्तिकुमार

(नि अ अशर्फीलाल)

आज दिनांक **03/02/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **8095**

पृष्ठ सं **221** से **244** पर क्रमांक **1130**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के के शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
3/2/2007